

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-24 / 2020-21

—: आदेश :—

मुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/7/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता श्री बधन दास, पिता-स्व0 प्रथम दास, जाति-मोची, ग्राम-सीमाबाद, ग्राम पंचायत-पुण्डरू, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुण्डरू, थाना नं0-106 के खाता संख्या-59, प्लॉट नं0-3248, रकवा-8$\frac{3}{4}$ डिसमील भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 401/भू0सु0, दिनांक 06.07.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1269 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान अघनु मुची दीगर के नाम से दर्ज है।2. (क). विक्रेता ग्राम-सीमाबाद (पुण्डरू), थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता ग्राम-सीमाबाद (पुण्डरू), थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं।3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के मुची हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं।4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है।5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है।7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-11 के थोका संख्या-5/7 में अघनु मुची दी0 के नाम से कायम है। लगान रसीद 2016-17 तक निर्गत है।8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है।9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म-पुरातन पतीत है।11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-पुण्डरू, थाना नं0-106 के खाता संख्या-59, प्लॉट नं0-3248, रकवा-8$\frac{3}{4}$ डिसमील भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश में कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2018/1317544 - दिनांक 13.11.2018 एवं क्रेता का स्थानीय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2018/1298799 - दिनांक 10.11.2018 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता श्री बंधन दास, पिता-स्व० प्रथम दास, जाति-मोची, ग्राम-सीमाबाद, ग्राम पंचायत-पुण्डरु, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुण्डरु, थाना नं०-106 के खाता संख्या-59, प्लॉट नं०-3248, रकबा-8¼ डिसमील भूमि क्रेता श्रीमति सीमती देवी, पति-मन्दु दास, जाति-मोची, ग्राम-सीमाबाद, ग्राम पंचायत-पुण्डरु, थाना-पिण्ड्राजोरा, अंचल-चास, जिला-बोकारो को विक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	